UPMZ010034752024

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Anurag Panwar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02638

वाद संख्या–590/2024

राज्य बनाम दीपक

मु0अ0सं0–3402/2020,
धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम 2003,
थाना–एंटी पावर थैफ्ट, जिला–मुजफ्फरनगर।

01–06–2026

निस्तारण प्रार्थना–पत्र

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त दीपक पुत्र शेर सिंह, निवासी–ग्राम दूधली, थाना–चरथावल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह गरीब व्यक्ति है। वह अपने जुर्म का स्वेच्छा से इकबाल करना चाहता है। उस पर कम से कम जुर्माना करके वाद का निस्तारण करने की प्रार्थना की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त दीपक के विरूद्ध प्रकरण उपरोक्त में विद्युत चोरी किये जाने के आधार पर सम्बन्धित थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आज अपना जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय में कथन किया कि वह अपने जुर्म का इकबाल करता है। कम से कम अर्थदण्ड/जुर्माना लगाकर उसके वाद को निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त प्रार्थी/अभियुक्त दीपक पुत्र शेर सिंह, निवासी–महाडी के पास, ग्राम–दूधली, थाना–चरथावल, जिला–मुजफ्फरनगर द्वारा प्रस्तुत जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त को धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम के आरोप में अंकन 2,000/– रूपये जुर्माने से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 5 दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। तद्नुसार वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनुराग पंवार)
ID: UP 2638
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 01–06–2026

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.06.01 17:05:40 IST
Reason: Order
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn